उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-3025/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(35)-2008

दिनांक: 24 अक्टूबर, 2008

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक और अनुसूची-दो में इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची-एक में, क्रम संख्या 21, 36 और 48 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
21.	सिल्क फैब्रिक्स; समस्त प्रकार का हैण्डलूम कपड़ा; हैण्डलूम शाल एवं लोई चाहे सादी, छपी हुई, रंगी हुई अथवा कढ़ी हो ; *धोती और साड़ी; पावरलूम पर निर्मित निम्न प्रकार के कपड़े जिसके अन्तर्गत अनुसूची–दो में वर्णित वस्तुयें नहीं हैं:–* *(क) सभी किस्म का सूती कपड़ा;* *(ख) रेयन या कृत्रिम रेशम का कपड़ा जिसके अन्तर्गत सभी किस्म का स्टेपिल फाइबर फैब्रिक्स भी है;* *(ग) सभी किस्म का ऊनी कपड़ा;* *(घ) उपर्युक्त फाइबर्स अर्थात् सूती, रेयन, कृत्रिम रेशम, स्टेपिल फाइबर या ऊन के किन्हीं दो या अधिक के मिश्रण या शुद्ध सिल्क के साथ उपर्युक्त फाइबर्स के किन्हीं एक या उससे अधिक के मिश्रण, से बना कपड़ा;* *(ङ) कैनवास कपड़ा।*
36.	बन, रस्क, ब्रेड(पिज्जा ब्रेड को छोड़कर); आटा, मैदा, सूजी, बेसन; गुड़, भेली तथा खाने योग्य श्रेणी का राब गुड़; खाण्डसारी; दलिया; शहद एवं बीहाईब; ***केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित चीनी ।***
48.	हैण्डलूम दरी; हाथ से बुनी टाट पट्टी, गुदड़ी; हस्त निर्मित ऊनी और हस्तनिर्मित सिल्क कालीन; हस्त निर्मित कागज; ***गमछा, अनस्टिच्ड बेडशीट और खेस।***

(ख) उक्त अनुसूची-दो में भाग-क में, क्रम संख्या 16 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात:-

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
16.	बेड शीट ***(अनस्टिच्ड बेडशीट को छोड़कर),*** तकिया का गिलाफ एवं कपड़े की बनी अन्य वस्तुयें।

आज्ञा से,

(देश दीपक वर्मा)

प्रमुख सचिव